भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 76B/2017–18

गणेश महतो बनाम राजकिशोर महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युवि
28.11.2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 2261 दिनांक 17.10.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 76 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता गणेश महतो, पिता–स्व0 छुटु महतो, ग्राम–राजगांव, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने चिकित्सा हेतु क्रेता राज किशोर महतो, पिता–सुकु महतो, ग्राम–बासलीकोचा थाना–गम्हरिया जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
राजगांव	140	117	1075	0.05ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वंय खतियानी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 3.42 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.37 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

28/11/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner